

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

-: आदेश :-

पत्रांक-06/प्र०-01(नि०सं०)-57/2024-

/पटना, दिनांक-

श्री ब्रजेश मोहन (आई०डी०- 3943), तत्कालीन मुख्य अभियंता (अतिरिक्त प्रभार), सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी सम्प्रति मुख्य अभियंता (कार्यकारी प्रभार), योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को उसके नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सेवा संहिता का नियम-227, 229, 230 एवं 248(क) के प्रावधानों के तहत स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक 16.11.2024 से दिनांक 25.12.2024 तक कुल 40 (चालीस) दिनों के उपभोगित अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(उत्कर्ष शर्मा)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-06/प्र०-01(नि०सं०)-57/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-06/प्र०-01(नि०सं०)-57/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-06/प्र०-01(नि०सं०)-57/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री ब्रजेश मोहन, मुख्य अभियंता (कार्यकारी प्रभार), योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-06/प्र०-01(नि०सं०)-57/2024-

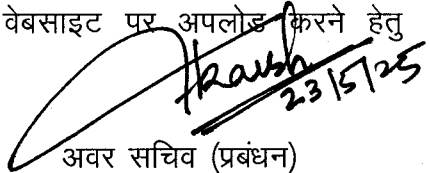
2411

/पटना, दिनांक-

23/05/2025

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारी के ई-मेल पता-brajeshhmohan@gmail.com एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)


23/5/25